सुशासन अभी !

SEHGAL FOUNDATION

जन - जन का है यह अधिकार
शिकायतों का समाधान हो समयानुसार”

एस एम सहगल फाउंडेशन

“सुशासन अभी”

‘सुशासन अभी’ कार्यक्रम सहगल फाउंडेशन के सौजन्य से मेवात के 400 से अधिक गांवों में चलाया जा रहा है। इसके तहत नागरिकों को गांव व ब्लाक स्तर पर विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के दिशा निर्देशों के बारे में, सामुदायिक निगरानी की प्रक्रिया और शिकायत निवारण प्रणाली के बारे में जागरूक किया जाता है। सुशासन अभी के अंतर्गत ग्रामीण व ब्लाक नेतृत्व स्कूल, सामुदायिक मीटिंग एवं गांव स्तरीय कानूनी जागरूकता कैंप का आयोजन भी किया जाता है। इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद मेवात में सुशासन की संस्कृति विकसित करना है। यह संभव तभी हो सकता है, जब ग्रामीण अपने अधिकारों को जानेगें तथा शासन में असरकारक भागीदारी करेगें।

"ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से संबंधित महत्वपूर्ण शिकायत निवारण तंत्र"

हरियाणा सरकार ने ग्रामीणों के विकास के लिए गांव, ब्लाक, जिला व राज्य स्तर पर राशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, कृषि, पशुपालन इत्यादि से संबंधित कल्याणकारी कार्यक्रमों को चलाया जा रहा है, परन्तु सही दिशा निर्देशों व शिकायत निवारण तंत्र की सटीक जानकारी ना होने के कारण ग्रामीण उनका पूरा लाभ उठाने में असमर्थ रहते हैं। इस समस्या को हल करने के लिये राशन, आंगनवाड़ी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन, कृषि, जन स्वास्थ्य, बिजली एवं ग्रामीण विकास से संबंधित अन्य सरकारी विभागों के ब्लाक, जिला तथा राज्य स्तरीय अधिकारियों के पते व फोन नंबर एक जगह देने का प्रयास किया गया है ताकि नागरिक सही जगह पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। इसके अलावा सूचना का अधिकार, सी.एम.विन्डो एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के तहत उपलब्ध शिकायत निवारण तंत्र के बारे में भी जानकारी दी गयी हैं। हम आशा करते हैं कि इस पुस्तिका में दी गयी जानकारी उपयोगी साबित होगी और आप सभी इसका अधिक से अधिक लाभ उठायेंगे।

शासन व नीति जनवकालत कार्यक्रम,

सहगल फाउंडेशन

1. **ग्रामीण विकास विभाग :-**

इंदिरा आवास योजना, महात्मा गाँधी ग्रामीण बस्ती योजना, मनरेगा, हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, सांसद आदर्श ग्राम योजना तथा ग्राम पंचायत से संबंधित अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं के लिये आप निम्नलिखित पतों पर लिखित में शिकायत कर सकते हैं या दिए गए नंबरों पर फोन भी कर सकते हैं।

- उपायुक्त (डी.सी.) मेवात,
  पहली मंजिल, लघु सचिवालय, पलवल रोड़, नूंह -122107,
  फोन नंबर : 01267–274602, 274610.

- सी. ई. ओ. (एम.डी.ए.) मेवात,
  हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, नूंह -122107,
  फोन नंबर : 01267-271179, 271461.

- अतिरिक्त उपायुक्त (ए.डी.सी.) मेवात,
  दूसरी मंजिल, लघु सचिवालय, पलवल रोड़, नूंह -122107,
  फोन नंबर : 01267-274606, 274605.

- उपमंडल अधिकारी (एस.डी.एम.) नूंह,
  भूतल, लघु सचिवालय, पलवल रोड़, नूंह -122107,
  फोन नंबर : 01267-271201.

- उपमंडल अधिकारी (एस.डी.एम.) फिरोजपुर झिरका,
  लघु सचिवालय, अलवर रोड़, फिरोजपुर झिरका -122104,
  फोन नंबर : 01268–277333.

- जिला विकास व पंचायत अधिकारी (डी.डी.पी.ओ.) मेवात,
  दूसरी मंजिल, लघु सचिवालय, पलवल रोड़, नूंह -122107,
  फोन नंबर : 01267-274735.
- एक्स. ई.एन. (पंचायती राज) मेवात,
  डी.आर.डी.ए. भवन, खेडला मोड़, नूंह -122107,
  फोन नंबर : 01267-274660.
- ब्लाक विकास व पंचायत अधिकारी (बी.डी.पी.ओ.) नूंह,
  फोन नंबर : 01267-271228.
- ब्लाक विकास व पंचायत अधिकारी (बी.डी.पी.ओ.)
  फिरोजपुर झिरका,
  फोन नंबर : 01268-277238.
- ब्लाक विकास व पंचायत अधिकारी (बी.डी.पी.ओ.) तावडू,
  फोन नंबर : 01267-282226.
- हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, तावडू,
  फोन नंबर : 01267-282099.
- मनरेगा हेल्पलाईन नंबर :18001802023.
- डायरेक्टर (पंचायत विभाग) हरियाणा,
  पंचायत भवन, प्लाट नंबर–3, सेक्टर 28-सी, चंडीगढ़ -160028,
  फोन नंबर : 0172-2654725.
- डायरेक्टर (ग्रामीण विकास विभाग) हरियाणा,
  तीसरी मंजिल, 30 बेज बिल्डिंग, सेक्टर 17–सी,
  चंडीगढ़ – 160017, फोन नंबर : 0172-2705535.

2. **खाद्य व आपूर्ति विभाग :-**

यदि आपके गांव में राशन हर महीने, सही दाम व पूरी मात्रा में नहीं मिलता है तो आप निम्नलिखित पतों पर शिकायत कर सकते हैं या दिए गए नंबरों पर फोन भी कर सकते हैं।

- जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक (डी.एफ.एस.सी.) मेवात,
  दूसरी मंजिल, लघु सचिवालय, पलवल रोड़, नूंह -122107,
  फोन नंबर : 01267-274615.

- सहायक खाद्य आपूर्ति अधिकारी (ए.एफ.एस.ओ.)
  दूसरी मंजिल, लघु सचिवालय, अलवर रोड़,
  फिरोजपुर झिरका -122104.

- डी.सी. (डी.जी.आर.ओ.) मेवात,
  पहली मंजिल, लघु सचिवालय, पलवल रोड़, नूंह -122107,
  फोन नंबर : 01267–274602, 274610.

- डायरेक्टर (खाद्य व आपूर्ति विभाग) हरियाणा,
  30 बेज बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, सेक्टर 17-सी, चंडीगढ़ –160017,
  फोन नंबर : 0172-2701366, 2701215.

- पी. डी. एस. हेल्पलाइन नंबर : 1800-180-2090, 1967.

3. शिक्षा विभाग :-

यदि आपके गांव में स्कूल समय से नहीं खुलता है, मिड डे मील, पुस्तकें व वर्दी नहीं बांटी जाती है या स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग हर महीने नहीं होती है तो आप निम्नलिखित पतों पर शिकायत कर सकते हैं या दिए गए नंबरों पर फोन भी कर सकते हैं।

- जिला शिक्षा अधिकारी (डी.ई.ओ.) मेवात,
  दूसरी मंजिल, लघु सचिवालय, पलवल रोड़, नूंह –122107,
  फोन नंबर : 01267-274690.

- जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी (डी.ई.ई.ओ.) मेवात,
  तीसरी मंजिल, लघु सचिवालय, पलवल रोड़, नूंह –122107,
  फोन नंबर : 01267-274704.

- डी.सी. (डी.जी.आर.ओ.) मेवात,
  पहली मंजिल, लघु सचिवालय, पलवल रोड़, नूंह -122107,
  फोन नंबर : 01267-274602, 274610.

- डायरेक्टर (मौलिक शिक्षा निदेशालय) हरियाणा,
  प्लाट नंबर : 1-बी, पहली मंजिल, शिक्षा सदन, सेक्टर-5,
  पंचकुला-134190, फोन नंबर : 0172-2560189, 3262073.
- आर.टी.ई हेल्पलाइन नंबर :180030100110.

4. **महिला एवं बाल विकास विभाग :-**

यदि आपके गांव का आंगनवाड़ी सेन्टर नहीं खुलता है या उसमे बच्चों, दूध पिलाने वाली माताओं व गर्भवती महिलाओं को पोषाहार नहीं दिया जाता है या टीकाकरण व स्कूल पूर्व शिक्षा का प्रबंध नहीं है तो आप निम्नलिखित पतों पर शिकायत कर सकते हैं या दिए गए नंबरों पर फोन भी कर सकते हैं।

- कार्यक्रम अधिकारी (पी.ओ.) मेवात,
  हाउसिंग बोर्ड कालोनी, नंगली,रोड नूंह –122107,
  फोन नंबर : 01267-274478.
- बाल विकास परियोजना अधिकारी (सी.डी.पी.ओ.) नूंह,
  फोन नंबर : 01267-274628.
- बाल विकास परियोजना अधिकारी (सी.डी.पी.ओ.) तावडू,
  फोन नंबर : 01267-283414.
- बाल विकास परियोजना अधिकारी (सी.डी.पी.ओ.)
  दूसरी मंजिल, लघु सूचिवालय, अलवर रोड़,
  फिरोजपर झिरका -122104,
  फोन नंबर : 01268-278226.
- डी.सी. (डी.जी.आर.ओ.) मेवात,
  पहली मंजिल, लघु सचिवालय,
  पलवल रोड़, नूंह -122107,
  फोन नंबर : 01267-274602,274610.
- डायरेक्टर (महिला व बाल विकास विभाग) हरियाणा,
  बेज नंबर : 15-20, सेक्टर-4, पंचकुला –134109,
  फोन नंबर : 0172-2560349.

5. समाज कल्याण विभाग :-

यदि आपको बुढ़ापा, विकलांग, निराश्रित, विधवा या बेसहारा पेंशन से संबंधित कोई समस्या है तो आप निम्नलिखित पतों पर शिकायत कर सकते हैं या दिए गए नंबरों पर फोन भी कर सकते हैं।

- जिला समाज कल्याण अधिकारी (डी.एस.डब्लू.ओ.) मेवात,
  भूतल, लघु सचिवालय, पलवल रोड़, नूंह –122107,
  फोन नंबर : 01267-274677.

- ब्लाक समाज कल्याण अधिकारी (बी.एस.डब्लू.ओ.)
  सिविल लाइन रोड़, फिरोजपुर झिरका –122104,
  फोन नंबर : 01268-277238.

- डायरेक्टर (सामाजिक न्याय व आधिकारिता विभाग) हरियाणा,
  एस. सी. ओ. 68-70, सेक्टर -17-ए, चंडीगढ़ -160017,
  फोन नंबर : 0172-2548347.

- पेंशन हेल्पलाइन नंबर : 0172-2774017, 2775017.

6. कृषि विभाग :-

आपके गांव में कृषि विभाग से संबंधित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं के लिये आप निम्नलिखित पतों पर शिकायत कर सकते हैं या दिए गए नंबरों पर फोन भी कर सकते हैं।

- डिप्टी डायरेक्टर (कृषि विभाग) मेवात,
  तीसरी मंजिल, लघु सचिवालय, पलवल रोड़, नूंह –122107,
  फोन नंबर : 01267-274702.

- डायरेक्टर (कृषि विभाग) हरियाणा,
  कृषि भवन, सेक्टर –21, पंचकुला –134112,
  फोन नंबर : 0172-257062.

- किसान काल सेन्टर नंबर : 18001801551.

7. पशुपालन व डेयरी विभाग :-

आपके गांव में पशुपालन विभाग से संबंधित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं के लिये आप निम्नलिखित पतों पर शिकायत कर सकते हैं या दिए गए नंबरों पर फोन भी कर सकते हैं।

- डिप्टी डायरेक्टर (पशुपालन व डेयरी विभाग) मेवात,
  पुराना कोर्ट रोड़, पुलिस स्टेशन के सामने, नूंह -122107,
  फोन नंबर : 01267-274277.

- एस.डी.ओ. (पशुपालन व डेयरी विभाग) फिरोजपुर झिरका,
  दूसरी मंजिल, लघु सचिवालय, अलवर रोड़,
  फिरोजपुर झिरका -122104.

- डायरेक्टर (पशुपालन विभाग व डयरी विभाग) हरियाणा,
  पशुधन भवन, बेज नंबर : 9-12, सेक्टर-2, पंचकुला -134151,
  फोन नंबर : 0172-2574662.

- हेल्पलाइन नंबर :18001801184.

8. **जन स्वास्थ्य विभाग :-**

यदि आपके गांव में पानी से संबंधित कोई समस्या है तो आप निम्नलिखित पतों पर शिकायत कर सकते हैं या दिए गए नंबरों पर फोन भी कर सकते हैं।

- एक्स.ई.एन. (जन स्वास्थ्य विभाग) मेवात,
  नजदीक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तहसील रोड़, नूंह -122107,
  फोन नंबर : 01267-271278.

- एस.डी.ओ. (जन स्वास्थ्य विभाग) मेवात,
  नजदीक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तहसील रोड़, नूंह -122107,
  फोन नंबर : 01267-274488.

- डायरेक्टर (जनस्वास्थ्य विभाग) हरियाणा,
  बेज न: 13-20, सेक्टर - 4, पंचकुला-134109,
  फोन नंबर : 0172-2564221.

- हेल्पलाइन नंबर :18001805678.

9. **स्वास्थ्य विभाग :-**

यदि आपके गांव या कस्बे में सब–सेन्टर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच.सी), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी.एच.सी.) या सामान्य हस्पताल सही ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं तो आप निम्नलिखित पतों पर शिकायत कर सकते हैं या दिए गए नंबरों पर फोन भी कर सकते हैं:

- मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सी.एम.ओ.) मेवात,
  गांव व पोस्ट ऑफिस - मांडी खेडा, तहसील - नगीना,
  मेवात -122108,
  फोन नंबर : 01268-661010, 661014.

- सीनियर चिकित्सा अधिकारी (एस.एम.ओ.) मेवात,
  गांव व पोस्ट ऑफिस - मांडी खेडा, तहसील - नगीना,
  मेवात -122108,
  फोन नंबर : 01268-661017.

- सीनियर चिकित्सा अधिकारी (एस.एम.ओ.) नूंह
  फोन नंबर : 01267-201224.

- एम्बुलेंस हेल्पलाइन नंबर : 102.

- डायरेक्टर (स्वास्थ्य विभाग) हरियाणा,
  स्वास्थ्य भवन, सेक्टर-6, पंचकुला – 134109,
  फोन नंबर : 0172-2584549.

10. बिजली विभाग :-

यदि आपके गांव में बिजली से संबंधित कोई समस्या है तो आप निम्नलिखित पतों पर शिकायत कर सकते हैं या दिए गए नंबरों पर फोन भी कर सकते हैं।

- एक्स.ई.एन. (बिजली विभाग) मेवात,
  रेस्ट हाउस रोड़, नजदीक पॉवर हाउस, नूंह -122107,
  फोन नंबर : 01267-274530, 8059888366.

- एस.डी.ओ. (बिजली विभाग) मेवात,
  रेस्ट हाउस रोड़, नजदीक पॉवर हाउस, नूंह -122107,
  फोन नंबर : 01267- 271233, 8059888367.

- एस. डी. ओ. तावडू, फोन नंबर : 01267- 251267, 8059888453.

- एस. डी. ओ. पुन्हाना, फोन नबर : 01268-272238, 8059888369.

- एस. डी. ओ. फिरोजपुर झिरका, फोन नंबर : 01268-277239, 8059888368.

- एस. डी. ओ. नगीना, फोन नंबर : 8059888377.

- डायरेक्टर (दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम),
  विद्युत सदन, विद्युत नगर, हिसार -125005,
  फोन नंबर : 01662-223392, 223734.

- हेल्पलाइन नंबर :18001804334, 01662-223081.

11. सूचना का अधिकार (आर.टी.आई.) :-

सूचना का अधिकार कानून के तहत भारत के सभी नागरिकों को सरकारी कार्यों, दस्तावेजों, रिकार्ड्स की जानकारी व सामग्री के प्रमाणित नमूने लेने का अधिकार हैं जिसके तहत वो इनका निरीक्षण भी कर सकते है तथा जरुरत हो तो प्रमाणित प्रति भी प्राप्त कर सकते हैं। इस कानून के तहत हरियाणा सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों में जनसूचना अधिकारी (पी.आई.ओ.) तथा सहायक जन सूचना अधिकारी (एस.पी.आई.ओ.) की नियुक्ति की है जो आपको 50 रू. की फीस अदा करने पर 30 से 35 दिनों के अंदर जानकारी देंगे। केन्द्र सरकार से संबंधित विभागों के लिये 10 रू. की फीस अदा करनी होगी तथा बी.पी.एल. कार्ड धारकों को सभी प्रकार की सूचनायें मुफ्त प्रदान की जायेगी।

यदि आपको तय समय में सूचना नहीं मिलती है या गलत सूचना मिलती है तो आप संबंधित सरकारी विभाग में नियुक्त प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपील कर सकते है। यदि आप प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय से भी असुंतष्ट हैं तो आप राज्य सूचना आयोग को दूसरी अपील कर सकते हैं, जिसका पता नीचे दिया गया हैं :

- मुख्य सूचना आयुक्त (हरियाणा राज्य सूचना आयोग),
  एस.सी.ओ. नंबर : 70-71, मध्य मार्ग, सेक्टर : 8-सी,
  चंडीगढ़ – 160008.
  फोन नंबर : 0172-2726568.

12. मुख्यमंत्री शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सी.एम.विन्डो) :-

हरियाणा सरकार ने नागरिकों की समस्याओं के जल्द व उचित समाधान के लिए मुख्यमंत्री शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सी.एम.विन्डो) की शुरुआत 25 दिसम्बर 2014 से की हैं। राज्य सरकार ने प्रत्येक जिला मुख्यालय पर सी.एम.विन्डो के नाम से कार्यालय खोले गये हैं, जिस पर व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से लिखित शिकायत किसी भी कार्य दिवस पर दर्ज करवाई जा सकती है। शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर पर शिकायत दर्ज करवाने के तुरन्त पश्चात शिकायत का नंबर भेजा जाता है व इसी शिकायत नंबर की लिखित रसीद भी दी जाती है जिस पर लिखा होता है कि आपकी समस्या को 30 दिनों के अंदर हल करने का प्रयास किया जायेगा। यह प्रणाली पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत है जिसके तहत आप अपने शिकायत नंबर से इन्टरनेट के माध्यम से पता कर सकते है कि आपकी शिकायत पर क्या कार्यवाही हुई है और कौन सा अधिकारी कार्यवाही कर रहा है। शिकायतकर्ता को शिकायत के साथ अपनी पहचान के प्रमाण (आधारकार्ड, वोटर पहचान पत्र, राशनकार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, पासपोर्ट इत्यादि) की फोटोकॉपी लगानी होती है। मुख्यमंत्री (सी.एम.) कार्यालय से शिकायतकर्ता की संतुष्टि की जानकारी के लिये कई बार फोन भी किये जाते हैं।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें :

- सी.एम.विन्डो, मेवात,
  भूतल, लघु सचिवालय, पलवल रोड़, नूंह –122107.

13. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डी.एल.एस.ए.) :-

यदि आप मुफ्त क़ानूनी सहायता के हक़दार हैं तो आपको जिला न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय तक किसी भी लंबित मुकदमें में या नए मुकदमें में सहायता मिल सकती हैं। इनके अलावा किसी भी ट्रिब्यूनल, राजस्व न्यायालय या सरकारी विभागों में जो अर्द्ध न्यायिक मामलों की देख रेख करते हैं, उनमें भी क़ानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

पात्रता :

- यदि आपकी सालाना आय 1,50000 रू. से कम हैं ।
- यदि आप महिलाएं व बच्चें हैं ।
- यदि आप पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंधित हैं।
- यदि आप न्यायिक हिरासत में हैं या मानसिक रोगी या अपंग हैं ।
- यदि आप औद्योगिक कर्मचारी, दंगा पीड़ित, वरिष्ठ नागरिक या किन्नर हैं।

मुकदमें व सहायता : मुफ्त क़ानूनी सहायता सभी दीवानी, अपराधिक, राजस्व व प्रशासनिक मुकदमों में दी जाती हैं। आपको सरकारी खर्च से वकील दिया जाता हैं एवं इसके अतिरिक्त कोर्ट फीस, फैसले की नक़ल प्राप्त करना, गवाहों व टाइप इत्यादि का खर्च भी डी.एल.एस.ए. देती हैं।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें :

जिला स्तर :
सेक्रेटरी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डी.एल.एस.ए.),
जिला न्यायालय परिसर, पलवल रोड़, नूंह –122107,
फोन नंबर : 01267-271072. (सुबह **10** बजे से सांय **5** बजे तक)

राज्य स्तर :
मेम्बर सेक्रेटरी, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (हालसा), दूसरी मंजिल, पुराने जिला न्यायालय परिसर का नया ब्लाक, सेक्टर - 17**,** चंडीगढ़ – 160017**.**

हेल्प लाईन नंबर: 18001802057. (सुबह **9** बजे से रात्री **12** बजे तक)

"फ़ोन घुमायें, सूचना पाये, लाभ उठायें"
नागरिक सूचना एवं सहायता केंद्र

टोल फ्री नंबर:

180030003182

फोन करने का समय:
सुबह 9.00 से शाम 5.00 बजे तक
(सोमवार से शनिवार)

SEHGAL FOUNDATION

प्लॉट संख्या 34, सेक्टर 44 इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुड़गांव, हरियाणा 122003
टेलीफोन नंबर: +91-124-4744100 फैक्स +91-124-4744123
ईमेल: smsf@smsfoundation.org